

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण

केस संख्या :-

12024

ने ठगणी क. ① बनाया पात्र
 पुत्रे व पत्नी का अवलोकन करके
 उपरान्त या- पत्र निम्न 17 का स्वीकार
 किया जायत ठगणी क. ① केसर देवी
 पत्नी बहीनारायण को अर्थात् 7 व
 ठगणी क- ② अफराक पुत्र अरीसत
 को ठगणी क. ① बनाया जाना है
 पत्नी वरु संशोधित
 शीर्षक दिनांक 31/01/24 से प्रारंभ

21
 उपखण्ड अधिकारी
 चाकसू (जयपुर)

18/01/24

पत्नी आज दावे की पत्नी की
 साथ तलब की गई प्रार्थना स्वयं उज
 पत्नी प्रार्थना व स्वयं प्रार्थना के कहे जाने
 दावा विहीन होने से न्यायालय को प्रार्थना
 आदेश दिनांक 20/01/24 या. पत्र 212 RTA
 का विहीन (खारिज) किया जाता है उपर
 212 RTA का विहीन होने से न्यायालय को
 एवं स्पष्ट आदेश दिनांक 20/01/24 का
 प्रभावहीन हो गया (पत्नी वरु तलब
 दावा विहीन है)

उपखण्ड अधिकारी
 चाकसू (जयपुर)